सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-18 बुधवार, दिनांक-17 मार्च, 2021 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.25 बजे पूर्वाह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम द्वारा आशा कार्यकर्त्ताओं के धरना से संबंधित मामले को उठाया गया ।

आसन द्वारा कहा गया कि कार्य स्थगन के समय इसे उठाएँ ।

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 12 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-2196 स्थगित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-2197 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थानांतरित ।

(iv) 03 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(v) 231 तारांकित प्रश्न अनागत ।

प्रश्न संख्या 'क'-2201 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग से विभागीय उत्तर ससमय उपलब्ध कराने के लिए कहा गया जिसपर माननीय मंत्री द्वारा इसे नजरअंदाज करते हुए आसन पर आक्षेप मूलक टिप्पणी की गयी । आसन द्वारा उनसे इस टिप्पणी पर खेद प्रकट करने को कहा गया । परन्तु वे अपनी बात पर अड़े रहे । इससे आसन द्वारा सदन की कार्यवाही 12.00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की गई ।

स्थगनोपरांत

(12.00 बजे मध्याह्न से 12.03 बजे अपराह्न तक)

(माननीय अध्यासी सदस्य, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

आसन द्वारा कहा गया कि आज के लिए सूचीबद्ध कुल 74 शून्यकाल की सूचनाओं को शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है । साथ ही आज के लिए सूचीबद्ध 03 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को दिनांक-19.03.2021 को लिये जाएंगें ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही 02.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04.21 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[2] अन्य चर्चा :-

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य श्री महबूब आलम एवं श्री शकील अहमद खाँ द्वारा माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा आसन के प्रति की गयी अमर्यादित टिप्पणी पर सरकार से संज्ञान लेने का मामला उठाया गया । तदुपरान्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विस्तार से इस घटना पर वक्तव्य दिया गया और सरकार की तरफ से खेद और दु:ख प्रकट किया गया और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी सदन को आश्वस्त किया गया तथा आसन से अनुरोध किया गया कि माननीय मंत्री को भी उनके इस आचरण को स्पष्ट करने का मौका दिया जाय ।

तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया कि उनके किसी भी वक्तव्य से यदि आसन को किसी प्रकार की दिक्कत हुई है तो वे इसके लिए क्षमा चाहते हैं । उनकी ऐसी कोई भावना नहीं है और वे आसन का सम्मान करते हैं ।

[3] वित्तीय कार्य :-

माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 1984-85 के अधिकाई व्यय विवरण का उपस्थापन सदन पटल पर किया गया ।

[4] विधायी कार्य :-

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरांत खंडश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपना-अपना पक्ष रखा :-

(i) श्री ललित कुमार यादव

(माननीय अध्यासी सदस्य श्री प्रेम कुमार द्वारा आसन ग्रहण किया गया ।)

(ii) श्री विनोद नारायण झा

(iii) श्री अजीत शर्मा

(iv) श्री अजीत कुमार सिंह

(v) श्री अखतरूल ईमान

(vi) डा० सत्येन्द्र यादव

(vii) श्री जीतन राम मांझी

(viii) श्री ललित नारायण मंडल

(ix) श्री राजेश कुमार

(x) श्री मिश्री लाल यादव

(xi) श्री जनक सिंह

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

आसन द्वारा सदन की सहमति से आज के लिए सूचीबद्ध कार्यक्रम की समाप्ति तक सदन की अवधि का विस्तार किया गया ।

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये ।

तदुपरांत बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी द्वारा सदन को सूचित किया गया कि इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 को बिहार मंत्री परिषद् ने दिनांक-16.03.2021 को मंजूरी दे दी है । इसके साथ बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ इथेनॉल के लिए विशेष नीति लागू की गयी है ।

[5] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 53 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-18 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-17.03.2021

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।